

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4783
उत्तर देने की तारीख 21.08.2025

पश्चिम बंगाल में वन अधिकार अधिनियम, 2006

+4783. श्री कालिपद सरेन खेरवाल:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पश्चिम बंगाल के जंगलमहल क्षेत्र के झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 लागू नहीं किया गया है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार को जानकारी है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत, दिसंबर 2005 से पहले अपनी पैतृक भूमि पर रहने वाले आदिवासियों को ऐसी भूमि का स्वामित्व प्राप्त है; और
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): 'अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं और इन्हें 20 राज्यों (पश्चिम बंगाल सहित) और 1 केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रगति रिपोर्टों की निगरानी करता है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वन अधिकार अधिनियम पश्चिम बंगाल के जंगलमहल क्षेत्र के झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में लागू किया जा रहा है।

(ख): जंगलमहल क्षेत्र के झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में प्राप्त दावों, वितरित स्वामित्व और वितरित स्वामित्व की सीमा के साथ ही अस्वीकृत दावों और लंबित दावों की स्थिति, जैसा कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.09.2023 के पत्र के माध्यम से अंतिम बार सूचित किया गया है, निम्नानुसार है:

ज़िला	प्राप्त दावों की संख्या			वितरित अधिकार पत्रों की संख्या			वन भूमि की सीमा जिसके लिए अधिकार पत्र वितरित किये गये (हेक्टेयर में)			अस्वीकृत दावे	लंबित दावे
	व्यक्तिगत	समुदायिक	कुल	व्यक्तिगत	समुदायिक	कुल	व्यक्तिगत	समुदायिक	कुल		
झारखाम	20753	164	20917	9392	72	9464	982.11	15.73	997.84	11453	0
पुरुलिया	38499	1267	39766	7984	76	8060	1615.76	23.82	1639.58	31701	5
बांकुरा	34906	2653	37559	11894	210	12104	5464.86	378.51	5843.37	24809	646
पश्चिम मेदिनीपुर	28794	1096	29890	5216	17	5233	499.22	1.52	500.74	24511	146

(ग) और (घ): वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, वन निवासी अनुसूचित जनजातियाँ जो 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर निवास और खेती कर रही हैं, वे ऐसी भूमि पर व्यक्तिगत या सामुदायिक अधिकार की हकदार हैं। एफआरए की धारा 3(1) के अंतर्गत धारा 3(1)(क) में, निवास के लिए या आजीविका हेतु स्व-कृषि के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक कब्जे के तहत वन भूमि पर अधिकार और रहने का अधिकार सहित 13 विभिन्न उपभोग अधिकारों को मान्यता दी गई है। ये सभी अधिकार वंशानुगत हैं, परंतु हस्तान्तरणीय या परक्राम्य नहीं हैं (धारा 4(4))
